केरल राज्य व अन्य

बनाम

एम.ए. मथाई

9 अप्रैल, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत एवं लोकेश्वर सिंह पांटा, जे.जे.]

अनुबंध अधिनियम, 1872:

धारा 55 - कार्य अनुबंध - विस्तारित समय में पूरा किया - ठेकेदार द्वारा नुक्सानी के लिए वाद - करार में कोई वृद्धि खण्ड शामिल नहीं - विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा ठेकेदार का वाद डिक्री किया जाना तथा यह तय करते हुये उसे नुक्सानी दिलाना कि विस्तारित करार प्रपीड़न के कारण हुए थे - अभिनिर्धारित, ऐसे निष्कर्ष पर आने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है - वादी द्वारा किया गया कथन मात्र स्वीकार करना नहीं चाहिये था - यदि, अनुबंध से बचने के बजाय, ठेकेदार नियोक्ता की ओर से पारस्परिक दायित्व की विलम्बित पालना को स्वीकार करता है, तो ठेकेदार सहमत समय पर नियोक्ता द्वारा पारस्परिक वचन की अननुपालना के लिए मुआवजा का दावा नहीं कर सकता - उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त किया।

प्रत्यर्थी - ठेकेदार ने उसके द्वारा पूरे किये गये काम के संबंध में एक निश्चित राशि की वसूली के लिए अपीलार्थी - राज्य के विरूद्ध वाद पेश किया। राज्य सरकार ने वाद का इन आधारो पर विरोध किया कि ठेकेदार ने विस्तारित समय में कार्य पूरा नहीं किया था; कि ठेकेदार का यह रूख कि विस्तार चाहा गया था एवं पूरक समझौते उसकी स्वतंत्र इच्छा से नहीं हुये थे, किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं था; एवं कि करार में वृद्धि के लिए कोई खण्ड नहीं था। विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पूरक

समझौते जब्ती के भय से निष्पादित किये गये थे एवं नुक्सानी के रूप में दावाकृत राशि देते हुये वाद डिक्री किया। राज्य द्वारा अपील किये जाने पर, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा लिये गये दृष्टिकोण से सहमत होते हुये अभिनिर्धारित किया कि हालांकि ठेकेदार अन्य शीर्षो के तहत भी नुक्सानी का हकदार था, लेकिन चूंकि उसने खुद कम राशि का दावा किया था, इसलिए दावा डिक्रीटल राशि तक सीमित किया। इससे व्यथित राज्य सरकार ने वर्तमान अपील दायर की।

अपील अनुज्ञात करते हुये, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

1. जब अनुबंध सहमत समय पर पूरा नहीं होता है, और यदि अनुबंध से बचने के बजाय, ठेकेदार नियोक्ता की ओर से पारस्परिक दायित्व की विलंबित पालना को स्वीकार करता है, तो निर्दोष पक्षकार अर्थात ठेकेदार, सहमत समय पर नियोक्ता द्वारा पारस्परिक वचन की अननुपालना से हुये किसी भी नुकसान के लिए मुआवजे का दावा नहीं कर सकता, जब तक कि, इस तरह की स्वीकृति के समय, वह वचनदाता को ऐसा करने के अपने इरादे की सूचना नहीं देता है। यह इंगित किया गया कि किसी भी वृद्धि के लिए कोई खण्ड नहीं था। [पैरा 3 एवं 8] [998-जी-एच; 997 डी-ई]

1.2. तात्कालिक मुकदमें में, वाद केवल नुक्सानी के लिए था। वादी ने स्वयं दर्शित किया था कि यह ''नुक्सानी के लिए धन की वसूली के लिए वाद'' था। विचारण न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा जैसे वाद नुक्सानी के लिए था। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने स्वयं कहा कि प्राथमिक मुद्दा नुक्सानी के आंकलन से संबंधित है। इस रूख को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि राशि का दावा नुक्सानी के लिए नहीं किया गया था, बल्कि अतिरिक्त काम के लिए किया गया था। [पैरा 5 एवं 7] [997-एच; 998-सी]

जनरल मैनेजर, नोर्दर्न रेल्वे एवं अन्य बनाम सर्वेश चौपडा, [2002] 4 एससीसी 45, निर्देशित किया गया।

चिट्टी ऑन कॉन्ट्रेक्ट्स, 28 वां संस्करण 1999, पेज 1106, पैरा 20-015, निर्देशित किया गया।

1.3. विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ने बिना किसी आधार के यह तय किया है कि पूरक समझौता प्रपीड़न आदि के कारण था। यह निष्कर्ष कि समझौते स्वतंत्र इच्छा और स्वतंत्र सहमति से घटनाओ के सामान्य क्रम में प्राप्त नहीं किये गये थे, कम से कम कहने के लिए, एक अनुमानित निष्कर्ष है, जो किसी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। उक्त रूख का समर्थन करने के लिए किसी सामग्री के बिना मात्र वादी के कहने को विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये था। [पैरा 9 एवं 6] [999-सी; 998-ए-बी]

सिविल अपीलेट क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नम्बर 7333/2004

केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम द्वारा ए एस नम्बर 290/1994 में दिनांक 27.01.2004 को पारित अन्तिम निर्णय से।

जी. प्रकाश - अपीलार्थियों की ओर से।

टी.जी. नारायणन नायर - प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय द्वारा,

डॉ. अरिजीत पासायत, जे. 1. इस अपील में केरल उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दिये गये उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें अपीलार्थी राज्य एवं उसके पदाधिकारियों द्वारा उप-न्यायालय, त्रिचुर के मुकदमा संख्या ओ.एस. संख्या 859/1988 में पारित निर्णय एवं डिक्री की वैधता को प्रश्नगत किया गया था। यह वाद प्रत्यर्थी-

वादी ने, जो एक ठेकेदार था, अपने द्वारा किये गये कार्य के संबंध में धन की वसूली के लिए पेश किया था।

2. उच्च न्यायालय इस विचार का था कि निचली अदालत ने नुकसान के 9,53,669/-रूपये तय किये थे और पाया था कि वादी अन्य शीर्ष के तहत नुकसान प्राप्त करने का हकदार था, और इसलिए, डिक्रीटल राशि को 10.00.000/-रूपये तक सीमित कर दिया। तदनुसार अपील खारिज की गई।

3. अपील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान काउसेल ने निवेदन किया कि जिन पत्रो पर विश्वास किया गया है वे दर्शाते है कि ठेकेदार ने विहित अवधि में कार्य पूरा नहीं किया था और उसे विस्तार के लिए आवेदन करने हेतु कहा गया था। वादी-प्रत्यर्थी का मुख्य रूख यह था कि विस्तार चाहा गया था और पूरक समझौते वादी की स्वतंत्र इच्छा व स्वतंत्र सहमति से नहीं किये गये थे किन्तु उस समय मौजूद परिस्थितियों के कारण किये गये थे जिनमें वादी को प्रतिवादीगण के आदेशो के लिए सहमत होना आवश्यक था। इसको अलग तरीके से रखने पर, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वादी ने यह तर्क दिया है कि ये पूरक समझौते प्रपीड़न के कारण निष्पादित किये गये थे। विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष था कि पूरक समझौते वादी की कीमत पर जब्ती, पुनःआंवटन एवं पुनःव्यवस्था की धमकी के कारण निष्पादित हुये थे। यह इंगित किया गया कि किसी भी वृद्धि के लिए कोई खण्ड नहीं था। विचारण न्यायालय द्वारा यह गलत तरीके से माना गया कि वादी द्वारा किये गये पूरक समझौते तथा घोषणाऐं उस पर बाध्यकारी नहीं थी क्योंकि यह स्वतंत्र सहमति एवं स्वतंत्र इच्छा एवं घटनाओं के सामान्य क्रम में प्राप्त नहीं की गई थी।

4. जवाब में, प्रत्यर्थी के विद्वान काउसेल ने निवेदन किया कि प्रदत राशि नुक्सानी के लिए नहीं थी और यह केवल अतिरिक्त किये गये कार्य के संबंध में थी। यह

निवेदन किया गया कि विभाग ने स्वयं किये गये अतिरिक्त कार्य के लिए भुगतान की सिफारिश की थी और अनुबंधो के तहत दरों के अनुसार राशि प्रदान की गई है। हालांकि सरकार इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थी, जो स्वयं ही प्रत्यर्थी के दावे की वास्तविकता को दर्शाता है। अतिरिक्त राशि का भुगतान एक अन्य अनुबंध के संबंध में प्रदान किया गया है।

5. प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों ही वाद की प्रकृति के संबंध में पूर्णतया भ्रमित थे। वादी ने स्वयं इंगित किया था कि यह "नुक्सानी के लिए धन की वसूली के लिए वाद" था। वास्तव में उच्च न्यायालय ने स्वयं पैरा 8 में कहा कि प्राथमिक मुद्दा नुक्सानी के आकलन से संबंधित है। यह भी पाया कि वादी विभिन्न शीर्षो के तहत नुक्सानी प्राप्त करने का हकदार था।

6. इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पूरक समझौते (प्रदर्श बी-2 से प्रदर्श बी-6) एवं घोषणाऐं (बी-10 से बी-14) वादी के लिए बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं थी। अगर वास्तव में ऐसा होता, तो कोई भी विस्तार नहीं होता। यह निष्कर्ष कि समझौते स्वतंत्र इच्छा और स्वतंत्र सहमति से घटनाओ के सामान्य क्रम में प्राप्त नहीं किये गये थे, कम से कम कहने के लिए, एक अनुमानित निष्कर्ष है, जो किसी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है।

7. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विचारण न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि क्या वादी नुक्सानी का हकदार था और यदि हां तो कितनी राशि और मात्रा तय की जाये। यह देखा गया कि नुक्सानी के लिए एक वाद होने के नाते, वादी कई गणनाओं वाले धन के संदर्भ में कई तरह की नुक्सानी की का दावा कर रहा था। यह हमारे सामने प्रत्यर्थी के अभिवाक के विपरित है। उनका रूख यह है कि यह राशि नुक्सानी के लिए नहीं थी बल्कि किये गये अतिरिक्त काम के लिए थी। जैसा कि ऊपर

उल्लेख किया गया, यह केवल नुक्सानी के लिए एक वाद था। जनरल मैनेजर, नोर्दर्न रेल्वे एवं अन्य बनाम सर्वेश चौपड़ा, (2002) 4 एससीसी 45, में अन्य बातों के साथ इस प्रकार से देखा गया:

> ''हमारे देश में अनुबंध की पालना में देरी का प्रश्न भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धाराएं 55 एवं 56 से शासित होता है। यदि सामग्री एवं श्रम की कीमतों में असामान्य वृद्धि हो, तो इससे अनुबंध विफल हो सकता है और तब निर्दोष पक्षकार को अनुबंध के निष्पादन की आवश्कता नहीं है। इसी प्रकार, यदि समय अनुबंध का सार हो, तो नियोक्ता का पारस्परिक दायित्वों का पालन करने में विफल होना ठेकेदार को अनुबंध से बचने के लिए सक्षम कर देगा क्योंकि अनुबंध उसकी इच्छा पर शून्यकरणीय हो जाता है। चिट्टी ऑन कॉन्ट्रेक्ट्स, (28 वां संस्करण 1999, पेज 1106, पैरा 20-015) में बताया है कि समय किसी दायित्व का ''सार'' कब होता हैः
>
> ''विहित समय तक पालना करने में विफलता निर्दोष पक्षकार को हकदार बनाती है -(क) कि वह अनुबंध की पालना को समाप्त कर दें तथा उसके द्वारा दोनों पक्षों के शेष रहे बिना पालन किये गये सभी प्राथमिक दायित्वों का अन्त कर दें; तथा (ख) अनुबंध तोड़ने वाले से इस आधार पर नुक्सानी का दावा करे कि उसने निर्दोष पक्षकार को अनुबंध के लाभ से वंचित करके (सम्पूर्ण संव्यवहार की हानि के लिए नुक्सानी) अनुबंध का मौलिक उल्लंघन (अनुबंध की जड़ तक जाने वाला उल्लंघन) किया है।''

8. यदि अनुबंध से बचने के बजाय, ठेकेदार नियोक्ता की ओर से पारस्परिक दायित्व की विलंबित पालना को स्वीकार करता है, तो निर्दोष पक्षकार अर्थात ठेकेदार, सहमत समय पर नियोक्ता द्वारा पारस्परिक वचन की अननुपालना से हुये किसी भी नुकसान के लिए मुआवजे का दावा नहीं कर सकता, ''जब तक कि, इस तरह की स्वीकृति के समय, वह वचनदाता को ऐसा करने के अपने इरादे की सूचना नहीं देता है' ' इस प्रकार , यह प्रतीत होता है कि भारतीय कानून के तहत, पक्षकारों के बीच यह अनुबंध होने के बावजूद कि ठेकेदार ने नियोक्ता के किसी कार्य के कारण अनुबंध की पालना में देरी के लिए कोई दावा नहीं करने का दायित्व लिया हो, निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति में दावा अब भी ग्रहण करने योग्य होगाः (i) यदि ठेकेदार अनुबंध अधिनियम की धारा 55 के तहत ऐसा करने का अपने अधिकार का प्रयोग करते हुये अनुबंध को अस्वीकार कर देता है, (ii) नियोक्ता या तो पूरक समझौता करके या यह स्पष्ट करके कि दरों में वृद्धि या देरी के लिए मुआवजे की अनुमति होगी, समय का विस्तार कर देता है, (iii) यदि ठेकेदार यह स्पष्ट कर देता है कि दरों में वृद्धि या देरी के लिए मुआवजा नियोक्ता द्वारा अदा किया जाना होगा एवं नियोक्ता देरी तथा नियोक्ता को शर्तो पर रखने वाली ठेकेदार की ऐसी सूचना के बावजूद ठेकेदार द्वारा पालना को स्वीकार कर लेता है।''

9. विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ने बिना किसी आधार के यह तय किया है कि पूरक समझौता प्रपीड़न आदि के कारण था। यह निष्कर्ष कि समझौते स्वतंत्र इच्छा और स्वतंत्र सहमति से घटनाओ के सामान्य क्रम में प्राप्त नहीं किये गये थे, कम से कम कहने के लिए, एक अनुमानित निष्कर्ष है, जो किसी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। उक्त रूख का समर्थन करने के लिए किसी सामग्री के बिना मात्र वादी के कहने को विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये था।

10. किसी भी कोण से देखने पर उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय बिना किसी आधार के है तथा अपास्त किया जाता है। अपील अनुज्ञात की जाती है किन्तु परिस्थितियों को देखते हुये खर्चे का आदेश नही किया जा रहा है।

डी.एस. अपील अनुज्ञात की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दिलीप सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।